न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 17 / 2025

मुकेश कुमार पुत्र श्री बोदू लाल, निवासी करणी कॉलोनी, वार्ड नम्बर 2, गाधीनगर, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

...........**प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये बीज उर्वरक व कीटनाशी निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि विभाग, जिला परिषद अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना किशनगढ, जिला अजमेर

...........**अप्रार्थी**

उपस्थित :–

श्री शिव लाल यादव	सहायक निदेशक	पेरोकार सरकार
श्री एजाज अहमद	अभिभाषक	प्रार्थी

(सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र वास्ते जब्तशुदा वाहन को निर्मुक्त करने बाबत)

आदेश

दिनांक– 05.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी वाहन ट्रेलर नम्बर RJ 42 GA 5125 का पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन प्रार्थी का आजीविका का एक मात्र साधन है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन को वर्ष 2025 में ही क्रय कर बैंक से फाईनेन्स करवाकर वाहन का संचालन किया जाता रहा है तथा प्रार्थी वाहन की मासिक किस्त 1,56,000/– रूपये प्रतिमाह फाईनेन्स कम्पनी को अदा करता है। दिनांक 28.05.2025 को भूमि एग्रो इंडस्ट्री उदयपुर कलां किशनगढ से उत्पादित माल को ढोने के लिए प्रार्थी के उपरोक्त वाहन का किराया तय कर बुक किये जाने पर दिनांक 29.05.2025 को प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन मय ड्राईवर माल लोड करने के लिए फैक्ट्री एंग्रो इंडस्ट्री उदयपुरकलां में उत्पादित माल को लोड़ करने के लिए भेजा गया। पूर्व उल्लेखित फैक्ट्री में माल लोड़ करने के दौरान उक्त फैक्ट्री पर अप्रार्थी संख्या 1 बीज उर्वरक एवं कीटनाशी निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि विभाग, जिला परिषद अजमेर, जिला अजमेर राजस्थान द्वारा अचानक जांच की कार्यवाही सम्पादित की गई तथा विभाग अनुसार अनियमितताएं पाये जाने पर उक्त फैक्ट्री को सील कर दिया जाकर फैक्ट्री परिसर में स्थित उपलब्ध सामान जब्त कर दिया गया तथा उक्त बाबत पुलिस थाना किशनगढ में जरिये प्रथम सूचना संख्या 95/2025 प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया जो वर्तमान में अनुसंधानरत है। प्रार्थी का वाहन जो कि अपने सामान्य व्यापार के अनुक्रम में माल ढोने का कार्य सम्पादित कर रहा था वह भी फैक्ट्री की सीजिंग की कार्यवाही के दौरान परिसर में स्थित होने के कारण सम्पूर्ण फैक्ट्री सीज हो जाने के चलते उपरोक्त फैक्ट्री परिसर में ही प्रार्थी/सुपुदगीगार का उपरोक्त वाहन भी सीज हो गया। जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगीनामे पर रिलीज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण से टिप्पणी प्राप्त की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पर उभय पक्ष को सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी वाहन ट्रेलर नम्बर RJ 42 GA 5125 का पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन प्रार्थी का आजीविका का एक मात्र साधन है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन को वर्ष 2025 में ही कय कर बैंक से फाईनेन्स करवाकर वाहन का संचालन किया जाता रहा है तथा प्रार्थी वाहन की मासिक किस्त 1,56,000/– रूपये प्रतिमाह फाईनेन्स कम्पनी को अदा करता है। दिनांक 28.05.2025 को भूमि एग्रो इंडस्ट्री उदयपुर कलां किशनगढ से उत्पादित माल को ढोने के लिए प्रार्थी के उपरोक्त वाहन का किराया तय कर बुक किये जाने पर दिनांक 29.05.2025 को प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन मय ड्राईवर माल लोड करने के लिए फैक्ट्री एंग्रो इंडस्ट्री उदयपुरकलां में उत्पादित माल को लोड़ करने के लिए भेजा गया। पूर्व उल्लेखित फैक्ट्री में माल लोड़ करने के दौरान उक्त फैक्ट्री पर अप्रार्थी संख्या 1 बीज उर्वरक एवं कीटनाशी निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि विभाग, जिला परिषद अजमेर, जिला अजमेर राजस्थान द्वारा अचानक जांच की कार्यवाही सम्पादित की गई तथा विभाग अनुसार अनियमितताएं पाये जाने पर उक्त फैक्ट्री को सील कर दिया जाकर फैक्ट्री परिसर में स्थित उपलब्ध सामान जब्त कर दिया गया तथा उक्त बाबत पुलिस थाना किशनगढ में जरिये प्रथम सूचना संख्या 95/2025 प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया जो वर्तमान में अनुसंधानरत है। प्रार्थी का वाहन जो कि अपने सामान्य व्यापार के अनुकम में माल ढोने का कार्य सम्पादित कर रहा था वह भी फैक्ट्री की सीजिंग की कार्यवाही के दौरान परिसर में स्थित होने के कारण सम्पूर्ण फैक्ट्री सीज हो जाने के चलते उपरोक्त फैक्ट्री परिसर में ही प्रार्थी/सुपुदगीगार का उपरोक्त वाहन भी सीज हो गया। प्रार्थी व प्रार्थी के वाहन का उक्त जब्ती कार्यवाही में किसी भी प्रकार का अपराधिक षडयंत्र व भूमिका नहीं होने के बावजूद भी विभागीय अधिकारी द्वारा उक्त फैक्ट्री की सीजिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थिति वाहन संख्या RJ 42 GA 5125 को फैक्ट्री परिसर में सीज कर दिया गया। प्रार्थी/सुपुर्दगीगार के वाहन ट्रेलर संख्या RJ 42 GA 5125 को सीज किये जाने के बाबत् सम्बन्धित विभाग तथा अनुसंधान अधिकारी, पुलिस थाना किशनगढ द्वारा आज दिनांक तक पृथक से किसी प्रकार की जब्ती की कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा समस्त कार्यवाही के सबंध में अप्रार्थी संख्या 2 पुलिस थाना किशनगढ में एक एफ.आई.आर. संख्या 95/2025 पुलिस थाना किशनगढ, जिला अजमेर अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 318/4, 61 (2) बी एन0 एस0 एवं धारा 19 उर्वरक (नियंत्रण आदेश 1985) दर्ज की गई। जबकि प्रार्थी का उक्त कार्यवाही से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी केवल अपने व्यापार के सामान्य अनुकम में माल ढोने के लिए वाहन ट्रेलर का उपयोग किया गया था। अन्य तथ्यों के बारे में प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी व प्रार्थी के वाहन के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए) के तहत ना तो कोई कार्यवाही संपादित की गई और ना ही आवश्यक वस्तु अधिनियम आवश्यक प्रावधानो के तहत प्रार्थी को कोई नोटिस किया गया। ना ही प्रार्थी का उक्त वाहन आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो के तहत जब्त किया गया। केवल मात्र फैक्ट्री की सीजिंग कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री सीज किये जाने के कारण वाहन परिसर में स्थित होने के कारण सीज किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही से व्यथित होकर अपने वाहन को रिलीज कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2025 को न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण संख्या 3627/2025 के द्वारा माननीय

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलेक्टर
अजमेर

श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा दिनांक 19.06.2025 को अपने आदेश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा अपने आदेश में उल्लेखित किया कि उक्त वाहन आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ई के प्रावधानों के तहत जिला कलक्टर या सबंधित राज्य सरकार को अधिकृत करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसी अन्य न्यायालय या ट्रीब्यूनल को या अन्य आथोरिटी रखने वाले अधिकारी को उक्त आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है। क्षैत्राधिकार के कारण उक्त आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया तथा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उल्लेखित किया गया। वाहन ट्रेलर संख्या RJ 42 GA 5125 की पुलिस किशनगढ को प्रकरण संख्या 95/2025 में कोई आवश्यकता शेष नहीं है तथा उसे अनावश्यक रूप से फैक्ट्री में रखने से उसके खुर्द बुर्द व खराब होने की पूर्ण संभावना है क्योंकि सिजड फैक्ट्री में प्रार्थी/सुपुर्दगीगार के वाहन के रख रखाव हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। अतः प्रार्थी कें आवेदन को स्वीकार कर प्रार्थी के ट्रेलर संख्या RJ 42 GA 5125 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने के आदेश न्यायहित में फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 1 सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर ने टिप्पणी प्रस्तुत कर डॉ0 सौरभ गर्ग तत्कालीन सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर एवं उर्वरक निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.05.2025 को भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज विनिर्माण इकाई परिसर पर नमूने आहरित कर उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 28 (1)(डी) के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई थी उक्त जब्ती की कार्यवाही के दस्तावेजों, मौका पर्चा एवं एफ.आई.आर में ट्रेलर (टाटा सिग्ना) वाहन संख्या RJ 42 GA 5125 का विवरण दर्ज नहीं है।

थानाधिकारी थाना किशनगढ जिला अजमेर ने टिप्पणी प्रस्तुत कर दिनांक 31.05.2025 को परिवादी श्री सौरभ गर्ग पुत्र श्री हर्षवर्धन जैन जाति जैन उम्र 35 साल निवासी 203 विजया सरिता एनक्लेव पंचशील नगर अजमेर हाल बीज उवर्रक एवं कीटनाशी निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि विभाग, जिला परिषद अजमेर ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की कि उदयपुर कलॉ में चल रही नकली खाद बनाने की फैक्ट्री के सबंध में एफआईआर दर्ज बाबत प्रस्तुत कर श्री महेन्द्र कुमार का एक शिकायती पत्र माननीय कृषि मंत्री जी को प्राप्त हुआ था जिसमें श्री महेन्द्र कुमार ने उदयपुर कलॉ में भूमि एग्रो इंडस्ट्री एवं अन्य फर्मो के द्वारा बनाए जा रहे नकली खाद से सबंधित शिकायत थी। जिसमें जांच में पाया कि फैक्ट्री सोमिल जैन एवं राकेश कुमार जैन की पार्टनरशिप में चलाई जा रही थी। जांच किये जाने पर अमर शक्ति (फेरस सल्फेट) के 1200 नग, अमर शक्ति जाइम के 1740 नग, सरताज जिप्सम के 15200 नग, अमर शक्ति फॉसफों जिप्सम के 8000 नग एवं अमर शक्ति (कैल्सीअम सल्फर मैगनिसियम के 1600 नग खाली कट्टे पाए गए, इसके अतिरिक्त फैक्ट्री के गोदाम की जांच करने पर बडी मात्रा में मार्बल सलरी पाई गई, जिसका नकली उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाना सामने आया, फैक्ट्री और गोदाम की जांच करने पर Mineral granules लिखे हुए 31787 भरे हुए कट्टे पाए गए जिसमें नकली उर्वरक निर्माण करने हेतु कच्चा माल बताया गया था फैक्ट्री में विद्यमान लोगो से बात करने पर वो उर्वरक के कच्चे माल के क्रय एवं उर्वरक के विक्रय का कोई हिसाब नहीं दे पाया इससे पता चलता है कि पूर्णत फर्जीवाडा कर नकली उर्वरक बनाया जा रहा था, उक्त नकली खाद को विभिन्न प्रचलित ब्रांडों के कट्टो में भरकर पैक कर दिया जाता है इस प्रकार से हर प्रकार के प्रचलित ब्रांड के कट्टे बनाए जाते हैं, जब्त किये गए काफी कट्टो पर फर्जी आईएसआई/आईएसओ

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अजमेर

मार्क अंकित किया हुआ था इस प्रकार से अभियुक्तगण ने राज्य एवं अन्य राज्य के डिस्ट्रीब्यूटर एवं डीलर के साथ मिलीभगत कर नकली खाद बना कर उपजाउ मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करने एवं जनता के स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए जानबुझ कर केवल आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक षडयन्त्र रचते हुए किसानो सरकार एवं आमजन के साथ धोखाधडी का कार्य किया जा रहा था, जांच के बाद फैक्ट्री को सील करके, उपलब्ध सामान जब्त किया गया एवं माल का सैम्पल लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया, इस प्रकार से सोमिल जैन एवं राकेश कुमार जैन ने पार्टनरशिप में गंभीर अपराध कारित किया है, अत बीएनएस की धारा 318, 61 (2) एवं अन्य धाराये **Essential commodity act** की धारा 3/7 **fertilizer control order 1985** में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। ट्रक नम्बर आर.जे. 42 जी.ए. 5125 जिसमें भूमि एग्रो इण्डस्ट्रीज उदयपुर कलां में तैयार हुआ मिलावटी/नकली खाद के कट्टे भरे हुए होने से उक्त ट्रक को कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ही मौका पर फैक्ट्री के साथ ही सीज किया गया था। उक्त ट्रक को पुलिस विभाग द्वारा जब्त नहीं किया गया है मन अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त ट्रक के सबंध में कोई अनुसधान नहीं किया गया है। प्रकरण हाजा में अनुसंधान जारी है। अतः भूमि एग्रो इण्डस्ट्रीज उदयपुर कला में सीज किये गये ट्रक नम्बर आर.जे. 42, जी.ए 5125 को रिलीज करने के सबंध में कृषि विभाग के अधिकारियो द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर की टिप्पणी दिनांक 03.07.2025 में डॉ0 सौरभ गर्ग तत्कालीन सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर एवं उर्वरक निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.05.2025 को भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज विनिर्माण इकाई परिसर पर नमूने आहरित कर उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 28 (1)(डी) के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई थी उक्त जब्त की कार्यवाही के दस्तावेजों, मौका पर्चा एवं एफ. आई.आर. में ट्रेलर (टाटा सिग्ना) वाहन संख्या RJ 42 GA 5125 का विवरण दर्ज नहीं होना अंकित किया गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ अजमेर ने अपनी टिप्पणी दिनांक 04.07.2025 में उक्त ट्रक को पुलिस विभाग द्वारा जब्त नहीं किया जाना एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त ट्रक के सबंध में कोई अनुसधान नहीं किया जाना अवगत कराया है। अतः पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है जो कृषि विभाग द्वारा उक्त वाहन को सीज किया जाना दर्शाता हो, साथ ही कृषि विभाग द्वारा की गई जब्ती में भी उक्त वाहन को सीज किये जाने का उल्लेख नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर के प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 0095 दिनांक 31.05.2025 में भी उक्त वाहन का कोई उल्लेख नहीं होने व उक्त वाहन सं. RJ 42 GA 5125 प्रकरण में जब्त नहीं होने से प्रार्थी का सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होना प्रतीत होता हैं। लिहाजा प्रार्थी/सुपुर्दगीगार का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर